COURT FEE कोर्ट फी Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE कोर्ट फी Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

681

समक्ष: न्यायालय श्रीमान रैवेन्यू बोर्ड ग्वालियर (राजस्व मंडल) कैंप जबलपुर म0प्र0

निगरानी-5909/2018/बालाघाट/भू.रा.

रा0रिवीजन प्र0क्र0 ..../2018

अमित उपाध्याय
रीडर (राजस्व मंडल)
12 SEP 2018
अधीक्षक
अपर आयुक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग

1- रामप्रसाद उम्र करीब 53साल जाति ढीमर

2- शिवप्रसाद उम्र करीब 50साल वल्द प्रीतम ढीमर

3- पुष्पाबाई उम्र करीब 56साल,पति भजनलाल

सभी निवासी वार्ड नं. 11 वारासिवनी तह0 वारासिवनी जिला बालाघाट म0प्र0,

--रिवीजनकर्ता

विरुद्ध
=====

नत्थूलाल उम्र करीब 65साल वल्द नारायण पवार सा0 वार्ड नं. 10 वारासिवनी जिला बालाघाट

---गैर रिवीजनकर्ता

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता निम्न विनय करता है:-

0- न्यायालय श्रीमान अति.कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के रा.प्र.क्र.466/अ-6 2014-15 आदेश दिनांक 12.07.2018 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर समयावधि के अंदर यह रिवीजन पेश की जा रही है:-

रिवीजन के तथ्य
====X====X===

1- प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार है कि गैर रिवीजनकर्ता नत्थूलाल (इस न्यायालय में उत्तरवादी) के द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 109-110 के तहत दिनांक 29.6.2007 को तहसीलदार वारासिवनी (जिसे प्रकरण में आगे से विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जावेगा) के समक्ष प्रस्तुत किया वारासिवनी नगर प.ह.नं. 26/2 में आवेदक के द्वारा पुरनाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण ढीमर से दिनांक23.2.85 को खसरा नं.479/1ग,एवं 479/2घ,एवं 480/5 रकबा 0.63डी. क्रय की गई थी उक्त भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक 23.2.1985 के आधार पर नामांतरण किये जाने आवेदन

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

R-5909/2018 जिला- बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 466 अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12–7–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, जबलपुर का आदेश दिनांक 12–7–18 को पारित हुआ है तथा उनके व्दारा 12–9–18 को निगरानी प्रस्तुत की गई है इसलिये निगरानी सुनवाई योग्य है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 (2) (ख) इस प्रकार है :– धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (2) (ख) – द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व । ग्रहण नहीं किया जायेगा। नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रचलन–योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	

शाक्षेगुग्वा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.